रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012026-269111
CG-DL-E-05012026-269111

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2026/पौष 15, 1947
No. 43] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2026/PAUSHA 15, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

(आयकर)

का.आ. 44(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23एफई) के खंड (ग) के *स्पष्टीकरण* 1 के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा पेंशन निधि, अर्थात्, इनबार होल्डिंग आरएससी लिमिटेड (पैन: एएजीसीआई2029सी), (जिसे इसके बाद "निर्धारिती" कहा गया है) को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो भारत में 31 मार्च, 2030 (जिसे इसके बाद "उक्त निवेश" कहा गया है) को या उससे पहले आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर या उसके बाद किए गए पात्र निवेश के संबंध में है, जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है, अर्थात्:-

(i) निर्धारिती, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय का रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले, आय का रिटर्न दाखिल करेगा, जो सभी संगत पिछले वर्षों के लिए है जो उस तारीख से शुरू होने वाली अवधि के भीतर आते हैं जिसमें उक्त निवेश किया गया है और उस तारीख को समाप्त होता है जिस पर ऐसा निवेश परिसमाप्त किया जाता है;

(ii) निर्धारिती, तिमाही के दौरान भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में विवरण, फॉर्म नंबर 10बीबीबी में तिमाही के अंत से एक महीने के भीतर सूचित करेगा, आयकर नियम, 1962 के नियम 2डीबी के खंड (v) के प्रावधानों के अनुसार;

(iii) निर्धारिती, ऐसे रिटर्न के साथ, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23एफई) के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में फॉर्म नंबर 10बीबीसी में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जो वित्तीय वर्ष के दौरान, अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए *स्पष्टीकरण* में परिभाषित एक लेखाकार से, आयकर नियम, 1962 के नियम 2डीबी के खंड (vi) के उपबंधों के अनुसार;

(iv) निर्धारिती, ऐसे निवेश के संबंध में आय और व्यय का एक खंडित खाता बनाए रखेगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23एफई) के अंतर्गत छूट के लिए योग्य है;

(v) निर्धारिती, अबू धाबी सरकार, या संयुक्त अरब अमीरात सरकार, या दोनों के कानूनों के अंतर्गत विनियमित किया जाना जारी रखेगा;

(vi) निर्धारिती, वैधानिक दायित्वों और एक या अधिक निधियों या योजनाओं के परिभाषित योगदान को पूरा करने के लिए संपत्ति के प्रशासन या निवेश के लिए जिम्मेदार होगा, जो सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, विकलांगता, मृत्यु लाभ या ऐसे निधियों या योजनाओं के प्रतिभागियों या लाभार्थियों को किसी भी समान मुआवजे के लिए स्थापित की गई हैं, जैसा भी मामला हो;

(vii) निर्धारिती की आय और संपत्ति का उपयोग केवल वैधानिक दायित्वों और निधि या योजनाओं के प्रतिभागियों या लाभार्थियों के लिए परिभाषित योगदानों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए, जिनका उल्लेख खंड (vi) में किया गया है और पेंशन निधि की आय या संपत्ति का कोई भी हिस्सा किसी अन्य निजी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं देता है; ऋण या उधार के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं को किए गए किसी भी भुगतान को छोड़कर [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 के खंड (ii) के *स्पष्टीकरण* 2 के उप-खंड (ख) में परिभाषित किया गया है] जो भारत में निवेश करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए लिया गया है;

(viii) निर्धारिती के पास भारत में निवेश करने के उद्देश्यों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऋण या उधार [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 के खंड (ii) के *स्पष्टीकरण* 2 के उप-खंड (b) में परिभाषित किया गया है] नहीं होना चाहिए; और

(ix) निर्धारिती निवेशित के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेगा [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 के *स्पष्टीकरण* 2 के खंड (i) में परिभाषित किया गया है] लेकिन निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के अधिकार सहित निवेशित में निहित निवेश की रक्षा के लिए निगरानी तंत्र को निवेशित के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भागीदारी नहीं माना जाएगा।

2. अधिनियम की धारा 10 के उक्त खंड (23एफई) में निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर और इस अधिसूचना द्वारा निर्धारिती कर छूट के लिए अयोग्य माना जाएगा।

3. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 1/2026/सं. 500/पीएफ6/एस10(23एफई)/एफटीएंडटीआर-II (2)]

श्यामा सजी, अवर सचिव